International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 14 Issue 8 || August 2025 || PP. 159-161

वैश्वीकरण के युग में मातृभाषा की प्रासंगिकता: झारखण्ड एक संदर्भ

सोमा महतो
शोधार्थी, विश्वविद्यालय मुण्डारी विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड)

शोध सारांश :– *वैश्वीकरण के इस युग में दुनिया एक 'वैश्विक गाँव' बन चुकी है, जहाँ अंग्रेजी और अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण क्षेत्रीय और मातृभाषाओं पर दबाव बढ़ा है, खासकर युवा पीढ़ी में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग में कमी आई है। फिर भी, मातृभाषा की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी भी समाज की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और सामूहिक स्मृति की संरक्षक होती है। झारखंड के संदर्भ में देखें तो यहाँ संथाली, मुंडारी, हो, कुरुख, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी जैसी भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि लोकगीत, लोककथाओं, रीति–रिवाजों और सामुदायिक जीवन की आत्मा हैं। लेकिन शिक्षा, रोजगार और शहरीकरण के दबाव में इनका प्रयोग घट रहा है। राज्य सरकार ने इस चुनौती को देखते हुए 'पलाश' जैसे मातृभाषा–आधारित बहुभाषी शिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को सरकारी स्कूलों में अनिवार्य किया है, और उच्च शिक्षा में राँची विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालय में जनजातीय एंव क्षेत्रीय भाषा विभाग, खोले गये है ताकि मातृभाषाओं का पठन–पठान हो सके। तथा पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी जैसे केंद्र स्थापित किए जा रहा हैं। ये पहल न केवल भाषाओं को जीवित रखने में मदद करती हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। वैश्वीकरण में मातृभाषा की प्रासंगिकता इस तथ्य में निहित है कि यह स्थानीय समुदाय को आत्मसम्मान, सांस्कृतिक सुरक्षा और ज्ञान की स्वाभाविक पहुँच प्रदान करती है। मातृभाषा संरक्षण के इन प्रयासों को तकनीकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी विस्तार दिया जाए, तो यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थानीय पहचान को मजबूती देने वाला सशक्त माध्यम बन सकती है।*

मूल शब्द :– *वैश्वीकरण, मातृभाषा, जनभाषा, झारखण्ड, आधुनिकरण, विविधता*

Date of Submission: 10-08-2025 Date of Acceptance: 23-08-2025

प्रस्तावना :– भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, यह मानव सभ्यता की आत्मा और संस्कृति की वाहक है। किसी भी व्यक्ति का भाषा से पहला परिचय उसकी मातृभाषा के माध्यम से होता है, वह भाषा जिसे वह जन्म से सुनता, बोलता और अनुभव करता है, अर्थात पारिवारिक परिवेश से सिखा गया भाषा। मातृभाषा व्यक्ति के विचार, भावनाओं, संस्कारों और मूल्यबोध को आकार देती है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज के इतिहास, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का जीवित स्वरूप है। मातृभाषा में व्यक्त किए गए विचारों में वह सहजता और आत्मीयता होती है जो किसी अन्य भाषा में संभव नहीं। यह मनुष्य के बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव होती है। मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति का जीवंत रूप है। लोकगीत, लोककथाएँ, लोकगाथाएँ, कहावतें, और धार्मिक अनुष्ठान मातृभाषा में ही जीवित रहते हैं। यह समुदाय की पहचान और एकता को बनाए रखती है। प्रवासी समुदायों के लिए मातृभाषा अपनी जड़ों से जुड़े रहने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के दौर में, जहाँ पाश्चात्य जीवनशैली और भाषा का प्रभाव बढ़ रहा है, मातृभाषा सांस्कृतिक विविधता की रक्षा का कवच है।

21वीं सदी और मातृभाषा :– 21वीं सदी का युग वैश्वीकरण व आधुनिकरण का युग है। तकनीकी प्रगति, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वैश्विक व्यापार और प्रवासन ने दुनिया को पहले से कहीं अधिक आपस में जोड़ा है। देशों के बीच आर्थिक, राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों की गहराई बढ़ी है। इस प्रक्रिया ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। ज्ञान का त्वरित आदान–प्रदान, रोजगार के नए अवसर, साक्षा संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए रास्ते खुले हैं। लेकिन इसके साथ ही भाषाई और सांस्कृतिक विविधता पर खतरे भी उत्पन्न हुए हैं। अंग्रेजी जैसी कुछ वैश्विक भाषाओं का वर्चस्व बढ़ा है, जिससे अनेक मातृभाषाएँ उपेक्षित और लुप्त होने के कगार पर पहुँच गई हैं।

यूनेस्को के अनुसार दुनिया में करीब 8324 जीवित भाषाएं मौजूद है तथा एक अन्य यूनेस्को के विश्व भाषा एटलस के अनुसार, आज दुनिया में 7,000 बोली जाने वाली य सांकेतिक भाषाएँ प्रचालन में है और केवल 351 भाषाएँ ही शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग की जाती हैं। हर दो सप्ताह में एक भाषा विलुप्त हो रही है, और उसके साथ उस भाषा में निहित सांस्कृतिक विरासत भी समाप्त हो रही है।

वैश्वीकरण के प्रभाव से मातृभाषाओं के सामने अवसर और चुनौतियाँ दोनों हैं। एक ओर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने मातृभाषाओं को नए दर्शक और पाठक प्रदान किए हैं। यूट्यूब, पॉडकास्ट, ब्लॉग और सोशल मीडिया के माध्यम से मातृभाषा में साहित्य, संगीत और ज्ञान को वैश्विक मंच पर पहुँचाना आसान हो गया है। डिजिटल युग में मातृभाषाओं के संरक्षण और प्रसार के लिए कई नए अवसर उपलब्ध हैं। विभिन्न भाषाओं में ऑनलाइन शिक्षा, ई–पुस्तकें, ऑडियोबुक, मोबाइल एप और सोशल मीडिया चौनल विकसित किए जा सकते हैं। डिजिटल माध्यम न केवल भाषा को जीवित रखने में मदद करते हैं, बल्कि इसे नई पीढ़ी के लिए आकर्षक भी बनाते हैं तथा प्रवासी समुदाय भी इन माध्यमों से अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं। हालांकि, इन माध्यमों पर अंग्रेजी का वर्चस्व और तकनीकी संसाधनों की कमी बड़ी चुनौतियाँ हैं, विशेषकर उन भाषाओं के लिए जिनका लिप्यंतरण और डिजिटल फॉन्ट उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर, शिक्षा और रोजगार में विदेशी भाषाओं की प्राथमिकता, विशेषकर अंग्रेजी का प्रभुत्व, युवाओं में मातृभाषा के प्रति आकर्षण घटा रहा है। शहरीकरण, प्रवासन और अंतरराष्ट्रीय संपर्क ने भी मातृभाषा के प्रयोग को सीमित किया है, विशेषकर उन भाषाओं के लिए जो छोटे समुदायों तक सीमित हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई शोध यह साबित करते हैं कि जिन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में मिलती है, उनका बौद्धिक विकास अधिक संतुलित होता है, वे अन्य भाषाएँ भी अधिक दक्षता से सीखते हैं, और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। यूनेस्को का भी यही मानना है कि मातृभाषा में शिक्षा ड्रॉप–आउट दर को कम करती है और सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है।

भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहां कई भाषाओं के लोग रहते हैं। भारत भाषाई विविधता के लिए मशहूर है। यहां कई तरह की बोलियां बोली जाती है, जिनका विकास ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित हुआ है। 2024 के आंकड़ो के अनुसार भारत में 453 जिवित भाषाएँ हैं। भारत की 114 मुख्य भाषाओँ में से 22 को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। देश की सभी भाषाओँ और बोलियों के संरक्षण तथा विकाश के लिए, उनके प्रचार–प्रसार तथा मान–सम्मान के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है जो निम्न है –

1) संविधान के अनुच्छेद 29(1) में वर्णित है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बचाए रखने का अधिकार होगा।

(2) संविधान के अनुच्छेद 30(1) में मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है कि ''धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(3) संविधान के अनुच्छेद 350(क) में प्रावधान है– प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबन्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। (4) संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) में अल्पसंख्यक भाषाओँ के विकास, संरक्षण और उसके आस्तित्व रक्षा पर जोर दिया गया है।

साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट रूप से कहती है की कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन कक्षा 8 और उससे आगे तक संभव हो तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए। हालांकि व्यवहार में कई अभिभावक अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता देते हैं, जिससे मातृभाषाओं का प्रयोग घट रहा है।

झारखण्ड एक संदर्भ :– झारखंड भाषा विविधता वाला राज्य है यहां कई भाषाएं बोली जाती है जिनमें से कुछ जनजाति भाषा और क्षेत्रीय भाषाएं है। जनजातीय भाषा में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, बिरहोरी, आसुरी आदि एवं क्षेत्रीय भाषा में कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगानिया, खोरठा आदि भाषा प्रमुखता से बोली जाती है जो समाज के इतिहास, परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का वाहक है। राज्य सरकार इन भाषाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा लागू कर रही है और उसने 'पलाश' जैसी बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की मातृभाषा को शामिल करके सभी विषयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाना है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वे भाषा शिक्षण फाउंडेशन, यूनिसेफ और अन्य एजेंसियों के साथ परामर्शदर्श से रही हैं।

आदिवासी बच्चों को अक्सर अपनी मातृभाषा और हिंदी, जो कि अधिकांश स्कूलों में शिक्षा का माध्यम है, के बीच अंतर के कारण शैक्षिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 'पलाश' कार्यक्रम पाँच प्रमुख आदिवासी भाषाओंः संथाली, मुंडारी, हो, कुरुख और खरिया में शिक्षा प्रदान करके इस समस्या का समाधान करता है। शुरुआत में 259 स्कूलों में शुरू किया गया यह कार्यक्रम अब छह जिलों(गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, प. सिंहभूम, साहिबगंज) के 1,041 से अधिक स्कूलों को कवर करता है। साथ ही राज्य सरकार राज्य भर में जनजातीय एंव क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण को लागु करने के लिए सर्वेक्षण करवा रही है, ताकि शिक्षा को ओर अधिक सुगम बनाया जा सके।

उच्च शिक्षा में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओ के संवर्धन के लिए डॉ. कुमार सुरेश सिंह जब दक्षिणी छोटानागपुर के कमिश्नर सह राँची विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उस समय उन्हीं के अथक प्रयास से 1980 में राँची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जनजातीय एंव क्षेत्रीय भाषा विभाग खोला गया। विभाग में 5 जनजातीय भाषा संथाली, मुण्डारी, हो, कुडुक, खड़िया तथा 4 क्षेत्रीय भाषा में कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगानिया की पढ़ाई होती है।

इसके अलावा सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, कोल्हन यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, विनोवा भावे यूनिवर्सिटी, आदि में जनजाति एंव क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होती है। साथ ही पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। राज्य सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं, 'गुरुजी क्रेडिट कार्ड' और 'मुख्यमंत्री अकादमिक उत्कृष्टता फेलोशिप' के माध्यम से भी मातृभाषा से जुड़े छात्रों को प्रोत्साहन दे रही है। इन पहलुओं से स्पष्ट है कि झारखंड सरकार न केवल भाषाई विविधता को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि शिक्षा के हर स्तर पर मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी सक्रिय रूप से काम कर रही है।

वैश्विक स्तर पर भी मातृभाषाओं के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। यूनेस्को द्वारा 21 फरवरी को 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' मनाया जाता है, ताकि भाषाई विविधता और बहुभाषावाद को प्रोत्साहन मिल सके। 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल से 17 नवंबर 1999 को 'यूनेस्को' महासम्मेलन में अनुमोदित किया गया और 2000 से इसे पूरे विश्व में 21 फरवरी को मनाया जाता है। बाद में इसे 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' द्वारा 2002 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 56/262 को अपनाने के साथ औपचारिक रूप से 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' को मान्यता दी गई।

निष्कर्ष :– वैश्वीकरण और मातृभाषा का संबंध विरोध का नहीं, बल्कि संतुलन का होना चाहिए। हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हुए भी अपनी भाषाई जड़ों से जुड़े रहना होगा। शिक्षा, मीडिया, तकनीक और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से हम मातृभाषाओं को न केवल संरक्षित कर सकते हैं बल्कि उन्हें नई पीढ़ियों के लिए और अधिक जीवंत बना सकते हैं। यदि हम अपनी मातृभाषाओं को खो देंगे तो हम केवल एक संवाद का माध्यम ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, इतिहास और भावनात्मक जड़ों का भी क्षरण करेंगे। मातृभाषा की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी सदियों पहले थी, और आने वाले समय में इसे संरक्षित रखना हमारी साझा जिम्मेदारी है।

संदर्भ :–

1 वैश्विक परिदृश्य में हिंदी का स्वरुप – लेखिका श्रीमती विनीता पाण्डेय, टी.जी.टी. हिन्दी केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1 रीवा, मध्यप्रदेश, शोध लेख, 2013

2 वैश्वीकरण के युग में हिंदी भाषा की प्रासंगिकता – सरताज सिंह

3 डॉ. रामदयाल मुण्डा : व्यक्तित्व एंव कृतित्व – लेखक डॉ. शांति नाग, रुम्बुल, दिरी ओड़ाः हातमा, राँची, पृ. संख्या – 181

4 भाषा और समाज – रामविलास शर्मा

5 भाषा विज्ञान की भूमिका – देवेन्द्र नाथ शर्मा

6 आदिवासी अस्मिता का संकट – रमणिका गुप्ता

7 झारखंड का पलाश बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम https://share.google/c7MbiQAgY598kbkRD

8 जेईपीसी ने 'मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा' पर तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया -Lagatar24.com

9 International Mother Language Day | United Nations https://share.google/rbUosJOeWI1ER6ppd

10 Multilingual teaching program expands to 1041 schools in State https://share.google/MrSn7tzVsDgVg1De6

11 International Mother Language Day | UNESCO https://share.google/xpQYsvHCSwApAA07d

12 मुण्डारी भाषा का भाषिक संरचना – डॉ. बिरेन्द्र कुमार सोय, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. संख्या – 5, 17